

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत छोटी नर्सरी की स्थापना हेतु चेकलिस्ट

1. व्यवसायिक स्थल का उद्यतन जमीन रसीद/भूमि-स्वामित्व प्रमाण पत्र आवेदक के नाम से होना/वंशावली के आधार पर उक्त जमीन आवेदक के पास होना आवश्यक होगा (वंशावली के आधार पर विधिमान्य भू-स्वामित्व का मूल प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा)।
2. राज्य के कोई व्यक्ति जो फलदार वृक्षों के पौध सामग्रियों के उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करने को इच्छुक हो, आवेदन कर सकते हैं।
3. डी.बी.टी. पोर्टल पर पंजीकृत कृषक के द्वारा ही इस योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। जिसका साक्ष्य मॉडल प्रोजेक्ट के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुक को जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
5. नर्सरी हेतु उपर्युक्त जमीन से संबंधित एकरारनामा।